सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 47/17 **निर्णय दिनांक**

1. मनफूल पुत्र धोंकलराम जाति बिश्नोई निवासी हाल चक 5 सीएचएम तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. जगदीश
2. कालूराम पुत्र इमीचन्द जाति बिश्नोई निवासी हाल चक 8
3. बूधराम सीएचडी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर
4. इमीचन्द पुत्र भगाराम
5. मनोहर पुत्र अर्जनराम मेघवाल निवासीगण चक आबादी 4, 5
6. बाबूराम पुत्र भोलूराम बिश्नोई सीएचएम तहसील लूणकरनसर
7. मोहन पुत्र तुलछा शर्मा जिला बीकानेर।
8. नन्दलाल पुत्र श्रीराम शर्मा
9. धर्माराम पुत्र केसरा नायक
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व लूणकरनसर

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

दिनांक 07–09–2017

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्

2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 07–09–2017 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा

मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि कि वादगत् भूमि वाके चक 5 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21/2 में अदालत मातहत द्वारा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है। जबकि चक 8 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 7/05, 7/13 के किला नम्बर 21 ता 25 में पश्चित से पूर्व दिशा के आगे चल रहे कटानी रास्ते से सड़क से मिलान करता रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध है तथा समस्त चकवासी इसी रास्ते का उपयोग पुराने समय से करते आ रहे है। चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में अपीलांट द्वारा पक्की डिग्गी का निर्माण किया गया तब किसी खातेदार ने आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया गया। जबकि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून में दी गई व्यवस्था के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रास्ता स्वीकृति आदेश से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1 में जहॉ से रेस्पोडेन्ट ने रास्ता चाहा गया है वहॉ पहले से ही 100/100 की पक्की पानी की डिग्गी बनी हुई है। जिसके ऊपर से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। जबकि चक 5 सीएचएम के मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से रास्ता पूर्व में ही कायम है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए

आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। कउक्त तथ्य दिनांक 15—09—2016 की मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अंकित किये गये है। वास्तव में मौके पर नये रास्ते

की कतई आवश्यकता नहीं है। ना ही अपीलांट द्वारा जब मौके पर पक्की डिग्गी का निर्माण करवाया गया था तक किसी भी खातेदार द्वारा एतराज नहीं किया गया। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट चक 8 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 8/11 की 14 बीघा, 11 व 25 सभी काश्तकारान है। रेस्पोडेन्ट को मुरब्बे में आने–जाने के लिए सड़क 5 सीएचएम से मुरब्बा नम्बर 8/13 स्वीकृत रास्ता 21 ता 25 से उत्तर में 8/12 में जाने के लिए 5 सीएचएम के मुरब्बा नम्बर 7/14, 7/15, 7/16, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12 जाने के लिए 5 सीएचएम के मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकार किया जाना आवश्यक है। चक 5 सीएचएम के मुरब्बा नम्बर 8/13 में खाता संख्या 14/15 में मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 20, 21/2 अप्रार्थी की कमाण्ड भूमि है। नये चक प्लान में जोड़े जाने के समय सहवन से उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में चालू रास्ता कटने से रह गया । जिससे पूरे चक वासियों व सकूल के लिए बच्चों को 5–6 किलोमीटर घूमकर आवागमन करना पड़ता है।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि जैर अपील आदेश सार्वजनिक हित के रास्ते से संबंधित है। जिसकी पालना राके जाने की कार्यवाही राज्य हित, जनहित व राज्य कल्याणकारी योजनाओं के विपरीत होने से अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा

चुकी है व नकल जमाबन्दी अनुसार गैर मुमकिन रास्ता कायम किया जा चुका है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि चकवासियों को व स्कूल के बच्चों को 5–6

कि.मी. घूमकर आना–जाना पड़ता है। अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा स्वयं मौका निरिक्षण करते हुए व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण सार्वजनिक हित व राज्य की कल्याणकारी योजना से संबंधित होने पर गैर मुमकिन रास्ता अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत किया गया है वह मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता ;इेवसनजम दमेमबपजल – बवदअपदपमदजद्ध के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 5 सीएचएम के मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21/2 में प्रत्येक किला में 02–02 बिस्वा कुल 10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है।

(2) हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह अभिलिखित किया गया है कि मौके पर मुरब्बा नम्बर 8/5 के किला नम्बर 21 ता 25 एवं मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 21 ता 25 में पक्की सड़क बनी हुई है जो कि लूणकरनसर कांकड़वाला पक्की रोड़ से निकलकर चक 4, 5 सीएचएम की आबादी की और आती है। मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी चक 8 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है। जोकि मौके पर चालू है।

(3) दूसरी तरफ उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि प्रार्थीगणों के लिए आवागमन हेतु चक 4, 5 सीएचएम आबादी में स्थित स्कूल में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1,

10, 11, 20, 21 में से रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में उक्त लोगों को मुरब्बा नम्बर 7/5, 7/13 के किला नम्बर 21 ता 25 से कटानी रास्ते से होकर पुनः मुरब्बा नम्बर 223/54 तक आना पड़ता है। जिससे प्रर्थीगणों को करीबन 4 कि.मी की अधिक दूरी तय करनी होती है।

(4) सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट धारा 251ए में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल मात्र संबंधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना पक्षकारों की उपस्थिति के तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट स्वमेव में विरोधाभाषी कथन अंकित किये गये है।

(5) प्रकरण में चक 8 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 7/05, 7/13 के किला नम्बर 21 ता 25 में पश्चिम से पूर्व दिशा में कटानी रास्ते से पश्चिम दिशा चक 9 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 227/53 में बनी सड़क से मिलान करता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के पास आवागमन हेतु वकैल्पिक रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध होना साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत अन्य खातेदारों के खेत से होकर रास्ता चाहा गया है, तो अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि चक 5 सीएचएम के मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21/2 प्रत्येक किला में 02–02 बिस्वा कुल 10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है व यदि रास्ते में पानी की डिग्गी आती है तो उसके पासे से प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवायेंगे। अर्थात रास्ते को 100 फिट घूमा कर अथवा वादगत् भूमि के पश्चित में स्थित मुरब्बा के किला नम्बर 5 में से रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है। जो किसी प्रकार से युक्तियुक्त आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

(7) धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता ;इेवसनजम दमेमबपजलद्ध को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। इस क्रम में

राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—3(2)रेवें—6/03 पार्ट 07 दिनांक 02—03—2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) से नियम 68—70 को जोड़ा गया है। पीड़ित पक्षकार (खातेदार) ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करेगा। उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार(प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। हम अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा स्वमेव स्पष्ट एवं स्पिकिंग है जो फर्द मौका के अनुसार है।

(8) जिसके अनुसार चक 8 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 7/05,7 7/12 के किला नम्बर 21 ता 25 में पश्चिम से पूर्व दिशा में आगे चल रहे कटानी रास्ते से तथा पश्चित दिशा चक 9 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 227/53 में बनी पक्की सड़क से मिलान करता है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। धारा 251ए के तहत ;इेवसनजम दमेमबपजलद्ध के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है। अदालत मातहत के समक्ष मौका रिपोर्ट के माध्यम से यह तथ्य उपलब्ध थे कि मौके पर आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य रास्ता उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी चक 5 सीएचएम के मुरब्बा नम्बर 8/13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21/2 में प्रत्येक किला

में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये है, जो धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 07–09–2017 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर